न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र / 02 / 2017

रामवीर सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी सुखावली तहसील व जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

1–सुन्दरसिंह पुत्र अहमद जाति सिंगीवाला निवासी सेवर खुर्द तहसील व जिला भरतपुर।

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर ।

...... रेस्पो0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गगत नियम 14(4) राजस्थान आवंटन कृषि भूमि नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी (आंवटन कमेटी) भरतपुर दिनांक 02.10.1970 बाबत साविक खसरा नम्बर 1143 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सेवर खुर्द तहसील भरतपुर ।

उपस्थित :

1. एड0 विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. जितेन्द्र कुमार कर्दम , अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ।
3. राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक 16.03.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गगत नियत 14(4) राजस्थान आवटन कृषि भूमि नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनाक 02.10.1970 बाबत साविक खसरा नम्बर 1143 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सेवर खुर्द तहसील भरतपुर की बाबत इस आशय का पेश किया है कि आवंटन कमेटी द्वारा दिनाक 02.10.1970 को उक्त साविक खसरा नम्बर 1143 का आवंटन अप्राथी के नाम से विधि विरूद्ध गया है। अप्राथी ने उक्त आवंटन, आवटन कमेटी को धोखा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

देकर करा लिया है, जबकि अप्रार्थी की आयु वक्त आवंटन करीब 5–6 वर्ष थी। नाबालिग के हक में मुताबिक कानून आवंटन नहीं किया जा सकता। आंवटन कमेटी ने इस बावत कोई जांच नहीं की कि अप्रार्थी के पिता का नाम अहमद सिंह था न कि मैमसिंह। अप्रार्थी ने आवंटन कमेटी से अपने पिता का नाम मैमसिंह बताते हुए आवंटन करा लिया है जो निरस्तनीय है। उक्त आवटित रकबा पर आंवटी अप्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। मौके पर आवंटित खसरा नम्बर 1143 का सम्पूर्ण रकबा हाल खसरा नम्बर 155 में मिला हुआ चला आ रहा है। जब आवंटित खसरा नम्बर 1143 मौके पर अस्तित्व में ही नहीं रहा है तो विवादित नम्बर पर अप्रार्थी का कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थी सम्वत् 2012 व उससे पूर्व से ही विवादित आराजी पर प्रार्थी व उसके पिता काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थी का आज भी मौके पर कब्जा है ।

इस प्रकार अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन आदेश दिनांक 02.10.1970 वाके ग्राम सेवर खुर्द तहसील भरतपुर स्थित खसरा नम्बर 1143 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा को खारिज किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलव की गई। रेस्पो0 संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और अपना जबाव प्रस्तुत किया, जो संलग्न पत्रावली है ।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कार्यवाही आवंटन कमैटी की प्रतिलिपि पेश कर जाहिर किया है कि कम संख्या 8 पर आवंटी का नाम सुन्दर पुत्र मैमसिंह लिखा हुआ है न कि अहमद सिंह । अप्रार्थी दरअसल अहमद सिंह का पुत्र है, जो जमावंदी संवत 2069 में भी दर्ज है, जिसे अप्रार्थी भी स्वीकार करता है। इसके अलावा प्रार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी समय समय पर अपने पिता का नाम महेन्द्रसिंह व अहमदसिंह दर्ज कराता रहा है जबकि जाति प्रमाण पत्र व वोटर लिस्ट में अप्रार्थी के पिता का नाम महेन्द्रसिंह अंकित है। अप्रार्थी स्वयं ने अपने जबाव में अपने पिता का नाम अहमदसिंह बताया है तथा जबाव के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में भी पिता का नाम अहमदसिंह लिखा हुआ है तथा उसके अभिभाषक ने भी अपने वकालतनामा में सुन्दर पुत्र अहमद लिखा है। इसके अलावा पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे यह प्रमाणित किया है कि वोटर लिस्ट के आधार पर सुन्दर पुत्र अहमद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तथा यही प्रमाण पत्र राशन डीलर ने भी अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने एक प्रथम सूचना

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

.....3

रिपोर्ट पुलिस थाना सेवर में दर्ज कराई थी जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने अन्तिम प्रतिवेदन देते हुए यह माना है कि सुन्दर अपने पिता का नाम भिन्न भिन्न बताता है। अप्रार्थी का आधारकार्ड भी पेश किया गया है जिसमें उसकी उम्र वर्ष 1971 व पिता का नाम महेन्द्र अंकित है। आधार कार्ड से भी अप्रार्थी वक्त आवंटन वर्ष 1970 में पैदा होना भी सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 RRD पेज–779 (H.C.) प्रस्तुत की है जिसके मुताविक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग के हक में आवंटन किया जाना वैध नहीं माना है तथा आवंटन को निरस्त किया है। इसी प्रकार दृष्टांत 2006(2) RRT पेज–1123 में भी आवंटी द्वारा अपनी उम्र को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करना विधि विरूद्ध माना है। न्यायिक दृष्टान्त 2018–2019 (SUPP) RRT पेज 338 में राजस्व मण्डल ने यह निर्णित किया है कि कोई आवंटी अपने पिता की बल्दियत गलत बताकर आवंटन प्राप्त कर लेता है तो वह कपट कारित माना जावेगा एवं आवंटन को निरस्त किया जावेगा। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि भूमि आवंटन नाबालिग को नहीं किया जा सकता है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी के हक में दिनांक 02.10.1970 को साविक आराजी खसरा नम्बर 1143 आवंटन हुआ, जो सही तरीका से जांच कर व भूमिहीन होने के कारण अप्रार्थी के हक में किया गया है। अप्रार्थी के पिता का नाम अहमदसिंह है । प्रार्थी का यह तथ्य बिल्कुल गलत है कि अप्रार्थी ने पट्टा कमेटी को धोखा देकर अपने हक में गलत आवंटन कराया है । वक्त आवंटन अप्रार्थी बालिग था अब उसकी उम्र करीव 58 साल है । खसरा नम्बर 123 मौके पर अलग नम्बर है जिसकी मेंड़ को प्रार्थी ने तोड़ दिया है जबकि मौके पर अप्रार्थी का ही कब्जा है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवंटी सुन्दर के पिता का नाम मैमसिंह अथवा नैमसिंह नहीं था, जो उसके द्वारा आवंटन के वक्त बताया गया तथा आधारकार्ड से भी यह प्रमाणित होता है कि सुन्दर नाम का व्यक्ति 1970 में पैदा ही नहीं था। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

में कहे गए कथनों के समर्थन में न तो कोई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं और न हीं ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसके पिता का असली नाम क्या है व उसकी सही उम्र वक्त आवंटन क्या थी ? इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि की बावत अपना कब्जा होना भी प्रमाणित नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **"2013 RRD पेज–779 (H.C.), 2006(2) RRT पेज–1123, 2018–2019 (SUPP) RRT पेज 338"** प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आवंटन आदेश अप्रार्थी ने कपट व धोखा देते हुए प्राप्त कर लिया है । इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि साविक खसरा नम्बर 1143 का हाल खसरा नम्बर 123 प्रार्थी के खसरा नम्बर 155 से बिल्कुल चिपटा हुआ है इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की मेंड तोड़ कर उस पर अवैध रूप से अवैध कब्जा करना भी सम्भावित है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी से उसे वेदखल भी किया जाना न्यायोचित रहेगा । हमारे न्यायिक मत में उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार आवंटन आदेश दिनांक 02.10.1970 (आवंटन कमैटी) साविक खसरा नम्बर 1143 रकवा 01 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम सेवर खुर्द तहसील भरतपुर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देश दिया जाता है कि उक्त साविक खसरा नम्बर 1143 हाल खसरा नम्बर 123 वाके ग्राम सेवर खुर्द का कब्जा प्राप्त कर उक्त आराजी की प्रविष्टियां राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के हक में सिवाय चक दर्ज की जावे । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.06.2017 को पारित एक पक्षीय स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर